प्रकरण संख्या 4/2022 जवाहरमल बनाम श्रीमती चुन्नीबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.2023	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 970/2018 दिनांक 13.02.2020 के विरूद्ध आप न्यायालय में उक्त अपील में दिनांक 11.09.2023 को पेशी नियत है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत मूलवाद संख्या 13/2016 उसके द्वारा विड्रो किये जाने के आधार पर दिनांक 20.07.2023 खारिज हो चुका है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन स्थगन आदेश भी समाप्त (Inficuous) हो जाता है। अतः मूलवाद विड्रो हो जाने से अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का स्थगन आदेश खारिज किया जावे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री राजमल राव ने उपस्थित होकर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस से सहमति प्रकट की। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 970/2018 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 13.02.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की, लेकिन चूंकि अधिनस्थ न्यायालय में वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत मूलवाद संख्या 13/2016 दिनांक 20.07.2023 को विड्रो किये जाने कारण खारिज हो चुका है, इस कारण अपीलाधीन स्थगन आदेश जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूलवाद के निस्तारण तक स्थगन जारी किया गया था, उक्त स्थगन आदेश मूलवाद खारिज हो जाने से स्वतः ही निरस्त (Inficuous) हो जाता है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2020 निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat Date: 2023.09.13 12:34:14 IST Reason: SelfAttested (प्रदीप सिंह सांगावत) उपखण्ड अधिकारी उदयपुर	